# From No. III

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

## फर्द अहकाम

## (नियम 26)

## कय्युम बनाम सायरा वगै0

| हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज<br>प्रार्थना पत्र –212 संख्या 13 वर्ष 2020 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|
| आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।<br><br>अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 24.02.2021 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1086/1105/1.11है0 वाके ग्राम रूपवास तहसील तिजारा पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं कच्चा–पक्का निर्माण कार्य न करें।<br><br>क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पी0 रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>तिजारा(अलवर) | |

04/22 [illegible] प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021
[illegible] कोर्ट में पंचायत मुख्यालय 204 बार्स....
[illegible] /अनुपस्थित
[illegible] नहीं हो सका।
[illegible] दिनांक
अतः प[illegible]
23.03.22.....को [illegible] पेश हो।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, तिजारा (अलवर)

23/03/22 पत्रावली आज पेश हुई वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है अतः यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल संलग्न मूलवाद हो।